

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2013—चैत्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ-ए 3-15-2011-1-पांच(11).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची 2 के भाग-दो की प्रविष्टि 55 की मद 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित मोटर पार्ट्स को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए इण्डस्ट्रीयल इनपुट के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

1. एडॉप्टर असेम्बली
2. सभी प्रकार की बार असेम्बली
3. सभी प्रकार के नट, बोल्ट, क्लैम्प, क्लिप, फास्टर, स्क्रू, पिन, वाशर
4. सभी प्रकार के लीवर और स्टिफनर
5. एक्सेल—आगे और पीछे का, जिसमें शामिल है एक्सेल असेम्बली/किट
6. एक्सेल बीम्स और एक्सेल हाऊसिंग
7. बेल हाऊसिंग
8. ब्रेकेट्स
9. ब्रेक ड्रम
10. ब्रेक होस, फ्रंट, पैडल, ब्रेक ट्यूब
11. सेंटर असेम्बली, कार्नर, स्टे और एक्सेल के लिए बम्पर
12. कैमशैफ्ट
13. केस—लोअर, अपर, गियर शिफ्ट, थर्मोस्टेट, डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन
14. कार्नर वेन
15. क्रास मेम्बर्स, साईड मेम्बर्स और लांग मेम्बर्स
16. सिलेण्डर ब्लॉक और हेड (सम्पूर्ण)

17. डैश बोर्ड असेम्बली
18. डिफरेन्शियल कैरियर
19. एक्जास्ट पाईप असेम्बली
20. फ्रेम —फ्रेम असेम्बली सहित
21. फ्यूल इंजेक्शन पम्प
22. गियर बॉक्स हाऊसिंग
23. गसेट
24. हब
25. इनटेक/एक्जॉस्ट मैनीफोल्ड
26. एल.यू.पी.डी. (लोअर अंडर प्रोटेक्शन डिवाईस)
27. मेटल मडगार्ड
28. पैनल, पिलर, प्लेट और पैनल शील्ड
29. पाईप—सेन्टर, टेल, एक्जास्ट, फ्रंट, रियर, अपर और पाईप असेम्बली (धातु से बनी)
30. रेडियेटर
31. रेल—इनर, आउटर, रूफ, साईड और विंडो
32. सीट असेम्बली—चालक, सहचालक और बसों के लिए (सम्पूर्ण)
33. साईड माउन्टिंग चैनल, सी चैनल, रीफ ग्लास चैनल, स्क्वेयर चैनल और यू-चैनल
34. स्प्रिंग असेम्बली और लीफ स्प्रिंग असेम्बली—फ्रंट और रियर (सम्पूर्ण)
35. सपोर्ट—प्लेट, सेक्शन, वर्टिकल पिलर और एंगल
36. टैंक—हवा और ईंधन
37. टर्बोचार्जर
38. अनपेंटेड डोर और डोर असेम्बली
39. व्हील रिम

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ-ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-15-2011-1-पांच(11) दिनांक 28 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. \

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (11).—In exercise of the powers conferred by item 217 of entry 55 of Part-II of Schedule-II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, specifies the following motor parts as industrial input for the purpose of the said entry, namely :—

1. Adaptor Assembly
2. All types of Bar Assembly
3. All types of Nut, Bolt, Clamp, Clip Fastener, Screw, Pin Washer

4. All Variant of Lever and Stiffener
5. Axle-Front and Rear including Axle Assembly / kit
6. Axle beams and axle housing
7. Bell housing
8. Brackets
9. Break drum
10. Brake Hose, Front, Paddle, Brake Tube
11. Bumpers for Center Assembly, Corner, Stay and Axle
12. Camshaft
13. Case-Lower, Upper, Gear Shift, Thermostat, Differential and Transmission
14. Corner Vane
15. Cross members, Side members and Long members
16. Cylinder Block and Head (whole)
17. Dash Board Assembly
18. Differential Carrier
19. Exhaust Pipe Assembly
20. Frame including frame assembly
21. Fuel injection pump
22. Gear box housing
23. Gusset
24. Hub
25. Intake/exhaust manifold
26. LUPD (Lower Under Protection Device)
27. Metal Mudguard
28. Panel, Pillar, Plate and Panel shield
29. Pipe-Center, Tail, Exhaust, Front Rear, Upper and Pipe Assembly (metal)
30. Radiator
31. Rail-Inner, Outer, Roof, Side and Window
32. Seat Assembly-Driver, Co-driver and for buses (whole)
33. Side Mounting Channel, C-Channel, Reinf Glass Channel, Square Channel and U-Channel
34. Spring Assembly and Leaf Spring Assembly-Front and Rear (whole)
35. Support-Plate, Section, Vertical Pillar and Angle
36. Tank-Air and Fuel
37. Turbocharger
38. Unpainted Door and Door Assembly
39. Wheel rim.

2. This Notification shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.